भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 30
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसान उत्पादक संगठन
***30. श्री दुष्यंत सिंहः**
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता प्रदान करने के लिए कोई नीतिगत पहल लागू कर रही है, यदि हां, तो इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) एफपीओ के लिए बाजार तक पहुंच को मजबूत करने और उनकी सहायता के लिए चलाए जा रहे विशिष्ट कार्यक्रमों तथा इनके तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की एफपीओ की कार्य संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता या राजसहायता बढ़ाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) संभावित भागीदारी और वित्तपोषण के अवसरों सहित एफपीओ में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है और उनका ब्यौरा क्या है, तथा इन प्रयासों में कौन-कौन सी एजेंसियां सहायता कर रही हैं; और
(ड.) राजस्थान के झालावाड़-बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत एफपीओ का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राजसहायता या वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन सी एजेंसियाँ जिम्मेदार हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"किसान उत्पादक संगठन" के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार 6865 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 10,000 नए एफ.पी.ओ. बनाने और बढ़ावा देने के लिए "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना को लागू कर रही है। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सामूहिक रूप से जोड़ना है ताकि सौदेबाजी की शक्ति बढ़े, इकनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ उठाया जा सके, उत्पादन की लागत कम हो और उनके कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हो।

एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन 14 कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) के माध्यम से किया जा रहा है, जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि के लिए एफ.पी.ओ. बनाने और उन्हें प्रोफेशनल सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) और मूल्य श्रृंखला संगठनों (वी.सी.ओ.) को लगाया है। दिनांक 31.12.2024 तक, 9268 एफ.पी.ओ. पंजीकृत किए गए हैं।

इस योजना के तहत एफ.पी.ओ. के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक का इक्विटी ग्रांट दिया जाएगा, जिसकी सीमा 15 लाख रुपये प्रति एफ.पी.ओ. होगी और पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति एफ.पी.ओ. परियोजना ऋण पर 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध है।

सरकार मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन(एमओवीसीडीएनईआर) भी लागू कर रही है। दिनांक 31.12.2024 तक 434 एफ.पी.ओ. पंजीकृत हो चुके हैं।

(ख): 10,000 एफ.पी.ओ. योजना के तहत सी.बी.बी.ओ., खरीदारों/प्रोसेसर्स आदि के साथ बाजार संपर्क के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो एफ.पी.ओ. की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एफ.पी.ओ. को पारंपरिक मंडी प्रणाली या स्थानीय बाजारों के बाहर उपलब्ध विभिन्न विपणन अवसरों से अवगत कराया जाता है ताकि वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच सकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओ.एन.डी.सी.) और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) प्लेटफॉर्म एफ.पी.ओ. के लिए उपलब्ध हैं। अब तक 7901 एफ.पी.ओ. ओ.एन.डी.सी.पर और 216 एफ.पी.ओ. जी.ई.एम. पोर्टल पर शामिल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 4362 एफ.पी.ओ. को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। एफ.पी.ओ. को खरीदारों से सीधे जुड़ने और अपनी उपज एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा भी दी जाती है।

(ग): एफ.पी.ओ. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे एग्री इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), कृषि विपणन इनफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(घ): इंडस्ट्रीज इनपुट डीलरशिप, थोक कृषि उपज की खरीद और प्रोसेस्सड वस्तुओं के विपणन में एफ.पी.ओ. का समर्थन कर रही हैं। 10,000 एफ.पी.ओ. योजना के तहत, मूल्य श्रृंखला संगठन (वी.सी.ओ.) सी.बी.बी.ओ. लागत लिए बिना एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन कर रहे हैं। ये वी.सी.ओ. एफ.पी.ओ. के लिए उचित प्रोसेसिंग और सुनिश्चित बाजार संपर्क अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं।

(ङ): राजस्थान के झालावाड़-बारां निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 एफ.पी.ओ. योजना के तहत 43 एफ.पी.ओ. पंजीकृत हैं और अब तक इन एफ.पी.ओ. को 5.31 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 10,000 एफ.पी.ओ. योजना के तहत राजस्थान के झालावाड़-बारां निर्वाचन क्षेत्र में गठित एफ.पी.ओ. और एफपीओ को जारी किए गए फंड का कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

अनुबंध- I

10,000 एफ.पी.ओ. योजना के तहत राजस्थान के झालावाड़-बारां निर्वाचन क्षेत्र में एफ.पी.ओ. को जारी किए गए एफ.पी.ओ. के लिए जारी एफ.पी.ओ. और फंड का आई-वार विवरण

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम (आईए)	ब्लॉक का नाम	आईए द्वारा गठित और संवर्धित एफ.पी.ओ. की संख्या	एफ.पी.ओ. को जारी किया गया कुल फंड (लाख रुपये में)
स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिज़नेस कंसोर्टियम (एसएफएसी)	अन्ता	3	351.9
	बारां	3	
	छाबड़ा	3	
	छीपाबड़ौद	3	
	मंगरोल	2	
	किशनगंज	3	
	अटरू	1	
	शाहबाद	2	
	खानपुर	1	
	बकानी	1	
	अकलेरा	1	
	पिरावा मुख्यालय सुनेल	1	
	डाग	1	
	भवानीमंडी	1	
फाउंडेशन फॉर डेवेललपमेंट ऑफ रुरल वैल्यू चैन्स (एफ़डीआरवीसी (एमओआरडी-एनआरएलएम)	मनोहरथाना	1	66.24
	झालरापाटन	1	
	पिरावा मुख्यालय सुनेल	2	
	शाहबाद	1	
	अटरू	1	
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)	किशनगंज	1	71.64
	अटरू	1	
	शाहबाद	1	
	भवानीमंडी	1	
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	बकानी	1	41.7
	डाग	1	
	झालरापाटन	1	
	मनोहरथाना	1	
	पिरावा मुख्यालय सुनेल	1	
	अकलेरा	1	
	खानपुर	1	
कुल		43	531.48

****